

02-04-25

घडसाना

वकील प्रार्थिगण द्वारा प्रार्थना पत्र / राजीनामा पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थिगण का मूल वाद पत्र राजीनामा के झांचार पर इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। इतना चढ प्रार्थना पत्र सौचित्यसिन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली काद तरीक तकमील होकर दायिल दफ्तर है।
निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]
02-04-25
(किरणपाल)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना